

हथियारों व कारतूस सहित गिरफ्तार आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला

गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर तीन दिन का रिमांड लिया

सादलपुर, (निर्स)। राजगढ़ कस्बे में बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम देने के मामले में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया है। शाम छह बजे पुलिस ने तीनों आरोपियों को शहर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, घंटाघर, शीतला चौक, पिलानी मोड़ पैदल घुमाकर आमजन को पुलिस में विश्वास अपराधियों में भय का संदेश दिया।

इस संबंध में थाना अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि गिरफ्तार एक आरोपी हनुमान बावरी हनुमानगढ़ पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर है तथा आरोपी के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी के अलावा आर्म्स एक्ट, हत्या, लूट व डकैती के दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं तथा गिरफ्तार अन्य दोनो आरोपियों के खिलाफ भी अपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना अधिकारी ने बताया कि तीनों अपराधियों को बाजारों में पैदल घुमाकर आमजन से रूबरू करवाया गया तथा इस बात का संदेश दिया गया कि अपराधियों का अंतिम हाल यही होता है। उन्होंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आमजन



राजगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को राजगढ़ कस्बे में पैदल घुमाकर जुलूस निकाला।

जागरूक होकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अपराधिक गतिविधियों को रोकथाम के लिए पुलिस का सहयोग करें।

सिहाग ने कहा कि जनता सहयोग करेगी तो पुलिस को भी सफलता मिलेगी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हनुमान बावरी पुत्र मनफूल

बावरी निवासी आईआईटी कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को एक देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस सहित तथा आरोपी सज्जन कुमार पुत्र हंसराज कुम्हार निवासी अमरपुरा तहसील अंबेहर पुलिस थाना भाववाला जिला फाजिल्का पंजाब को एक पिस्टल मय एक जिंदा कारतूस सहित तथा तीसरे आरोपी मुकेश

कुमार उर्फ भीम पुत्र साधुराम नाई निवासी वार्ड नं. 2 नन्दा कॉलोनी नोहर पुलिस थाना नोहर हाल उधम सिंह चौक संगरिया जिला हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया है तथा 27 जनवरी को पुनः न्यायालय में पेश करेंगे।

■ आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, चोरी व आर्म्स एक्ट के दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं

थानाधिकारी सिहाग ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिम हनुमान बावरी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ चोरी, नकबजनी, हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं सहित सूरतगढ़, सादल शहर, तारानगर, सरदारशाहर, पीलीबंगा, जालौर, भीनमाल जालौर, बीकानेर व नागौर थाना क्षेत्र में कुल 26 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तथा कई पुलिस थानों में वांछित अपराधी है। इसके अलावा आरोपी सज्जन कुमार भी नकबज व शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ चोरी, नकबजनी व पनडोपीएस एक्ट तथा अन्य धाराओं सहित करीब 15-16 मुकदमें अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज हैं। आरोपी मुकेश कुमार भी इनका चोरी व नकबजनी की कई वारदातों में इनका सहयोगी आरोपी रहा है।

विधवा ने जेट पर दुष्कर्म का आरोप लगाया

नोखा, (निर्स)। एक विधवा महिला ने अपने जेट पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक, उसके पति का देहांत फरवरी 2024 में हुआ था। इसके बाद जेट पेंशन और बेटे की नौकरी संबंधी कागजी कार्रवाई के बहाने उसके घर आने लगा। 12 मार्च 2024 को आरोपी जेट ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के बहाने पीड़िता को अपने घर बुलाया। वहां उसने महिला को नशीली चाय पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। इस दौरान आरोपी ने न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार पीड़िता का यौन शोषण करता रहा। परेशान होकर पीड़िता बीकानेर चली गई, लेकिन 18 जनवरी को आरोपी वहां भी पहुंच गया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे वापस नोखा बुला लिया। 20 जनवरी को नोखा लौटने पर आरोपी ने फिर से दुष्कर्म किया।

47 साल से बंद भगवान देवनारायण के मंदिर को लेकर माहौल गरमाया

मांडल कस्बे में धार्मिक स्थल पर दावे को लेकर दो पक्षों में पुराना विवाद है, इस पर 47 साल से पुलिस का पहरा है

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के मांडल कस्बे में 47 साल से बंद भगवान देवनारायण के मंदिर को लेकर एक बार फिर माहौल गरमाया हुआ है। धार्मिक स्थल पर दावे को लेकर दो पक्षों में पुराना विवाद है।

इस पर पुलिस का पहरा है। कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया पर 4 फरवरी को मांडल चलो मुहिम छेड़ रखी है। इसे लेकर मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना ने कहा कि बंद धार्मिक स्थल खुलवाने के लिए मैं प्रयासरत हूं। मेरी मुख्यमंत्री एवं गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम से भी बात हुई है। कानूनी दायरे में रहकर यह काम होगा। उन्होंने दावा किया कि मैं पांच साल में मंदिर

■ बंद धार्मिक स्थल खुलवाने के लिए मैं प्रयासरत हूं, मेरी मुख्यमंत्री एवं गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम से भी बात हुई है : मांडल विधायक भड़ाना

के ताले नहीं खुलवा पाया तो अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोशल मीडिया के चक्कर में आकर युवा मांडल न आए। विधायक भड़ाना ने बताया कि करीब 47 साल पहले एक समाज के लोगों ने चतूरे पर अपने धार्मिक कार्य की अनुमति मांगी थी। उन्हें समाज ने अनुमति दी तो उन्होंने परिसर पर कब्जा कर लिया और अपना धर्मस्थल होने का दावा किया। 1977 में मामला न्यायालय पहुंचा। तब न्यायालय ने

दरवाजे पर ताला जड़ने के बाद चाबी मांडल थाने में जमा करा दी। धर्मस्थल पर 47 साल से पुलिस का पहरा है। पिछले साल भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती पर धर्मस्थल से 500 मीटर दूर धार्मिक आयोजन हुआ था। उधर, प्रतीक सेना के अध्यक्ष गोपाल सिंह बस्सी ने कहा कि 4 फरवरी को माही सचमी का दिन है। देवनारायण भगवान का बड़ा दिन है। इस दिन हम धर्मस्थल में पूजा करना चाहते हैं। सीएम भजनलाल और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे

से मुलाकात करेंगे।

तीन साल पहले 11 मार्च 2022 को गोपाल नाम के एक युवक ने धर्मस्थल का ताला तोड़ दिया था। युवक ने वीडियो भी बनाया था। इस पर दूसरे पक्ष की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गोपाल को गिरफ्तार कर लिया था। अब एक बार फिर मांडल देवनारायण मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हुई तो विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कानूनी दायरे में रहकर मामले के समाधान की बात कही है। वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मांडल और विवाचित स्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

चार मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेंट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन क्लोन स्वीप अभियान के तहत अशोक नगर, प्रताप नगर, सांगानेर सदर और शिवाप्रथ थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए चार प्रकरण दर्ज कर चार तस्करों को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध मादक पदार्थ समेत 5.67 ग्राम, गांजा 150 ग्राम एवं बिक्री की राशि 15 हजार 660 रुपये बरामद किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि कर्नाटी सांसी निवासी टोक हाल अशोक नगर, बडोवा सांसी निवासी प्रताप नगर, जीतराम सांसी निवासी टोक हाल चाकसु और बिजेन्द्र मालावत निवासी शिवाप्रथ जयपुर को गिरफ्तार किया है।

दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल का कारावास

जालोर, (कास)। पॉक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाह्य ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी देवाराज को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 5 अक्टूबर 2024 को घर से किसी को बिना बताये, कहीं चली गई। देवाराज पुत्र मोतीराम हीरारण द्वारा उसे बहलाकर भगाकर ले जाने का शक है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर देवाराज को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया। पीड़िता लड़की ने बताया कि देवाराज उसे व उसके घर वाली को जान से मारने की धमकियां देकर बहलाकर अपनी टैक्सि में बैठकर झाड़ियों में सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पंद्रह गवाह के बयान लेखबद्ध किये गए। पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाह्य ने आरोपी देवाराज को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया।

चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड जोधपुर के 23 प्लॉटों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक

जोधपुर, (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन मंडल की ओर से जोधपुर के चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के 23 प्लॉट की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आवासन मंडल की ओर से इन प्लॉट की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लेकर पूर्व में नीलामी में शामिल रहे बोलोदाताओं ने विरोध जताया था। इसका जवाब देते हुए चौपासनी बोर्ड ने इस पर स्टे आदेश जारी किया।

जानकारी के अनुसार आवासन मंडल की ओर से अपनी जमीन पर काटे गए 23 प्लॉट को लेकर पूर्व में नीलामी प्रक्रिया की गई थी। इस नीलामी प्रक्रिया में साँफ्टवेयर में तकनीकी खराबी होने

■ हाईकोर्ट ने राजस्थान आवासन मंडल को नोटिस जारी करते हुए आदेश जारी किया, साँफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से बोलोदाता वंचित हो गये थे

के चलते जिन बोलोदाताओं ने बोलो लागाई थी उनकी ओर से जमा करवाई गई बयाना राशि को जब्त कर लिया गया था। इसके बाद विभाग की ओर से पुनः नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसको लेकर बोलोदाता शोभा देवी पंवार और अन्य की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसको लेकर अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने कोर्ट में बहस की और बताया कि साँफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी के चलते नीलामी प्रभावित हुई। इसके परिणामस्वरूप बोलोदाता की

रेखा बोरणा ने राजस्थान आवासन मंडल को नोटिस जारी करते हुए नीलामी प्रक्रिया पर तत्काल रोक के आदेश जारी किया।

बता दें कि आवासन मंडल की ओर से पिछले साल सितंबर माह में जोधपुर के चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड क्षेत्र के 23 प्लॉट की नीलामी की गई थी। इसमें ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया रखी गई थी, लेकिन साँफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के चलते नीलामी में शामिल हुए बोलोदाताओं की राशि को जब्त कर लिया था। राशि जब्त करने में सक्षम अधिकारी चेयरमैन था, लेकिन आवासन मंडल ने इसकी पालना नहीं की। दलील सुनने के बाद जस्टिस

जोधपुर, (कास)। अपने दो दिवसीय जोधपुर प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नगर निगम के अधिकारियों व पार्श्व पर नाराज हो गईं। वसुंधरा राजे साँचौर जाने के लिए जोधपुर से रवाना होने से पहले रैजिडेंसी रोड गौरव पथ स्थित भाजपा की चरित्र नेता रहनी उनकी माँ विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने पहुंची लेकिन वहां प्रतिमा व आसपास के परिसर का सही रखरखाव नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को यहां की सफाई की नसीहत तक दे डाली। वसुंधरा राजे की नाराजगी से नगर निगम में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन-

जोधपुर, (कास)। अपने दो दिवसीय जोधपुर प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नगर निगम के अधिकारियों व पार्श्व पर नाराज हो गईं। वसुंधरा राजे साँचौर जाने के लिए जोधपुर से रवाना होने से पहले रैजिडेंसी रोड गौरव पथ स्थित भाजपा की चरित्र नेता रहनी उनकी माँ विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने पहुंची लेकिन वहां प्रतिमा व आसपास के परिसर का सही रखरखाव नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को यहां की सफाई की नसीहत तक दे डाली। वसुंधरा राजे की नाराजगी से नगर निगम में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन-

■ वसुंधरा राजे अपनी माँ विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने पहुंची थी

फानन में मूर्ति स्थल को साफ-सफाई करवाई गई। नगर निगम के स्थानीय पार्श्व भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। वसुंधरा राजे ने जोधपुर से रवाना होने से पहले आज अपनी माता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहां उन्होंने मीडिया से कहा कि जिस प्रकार से अन्य प्रतिमाओं की देखभाल होती है, वैसे ही इसका भी

रखरखाव करने की बात कही थी, जिसकी पालना अब की जा रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि विजयाराजे सिंधिया ने देश और हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी प्रतिमा यहां लगी हुई है। उसको ठीक-ठाक करने की जरूरत है। कूल जब मैं यहां से गुजर रही थी, तब मूर्ति की हालत देखी थी। पेड़ों के बड़े हो जाने के कारण ठीक से मूर्ति नहीं दिखाई दे रही थी।

राजे ने साफ-सफाई रखने के लिए क्षेत्रीय पार्श्व और कार्यकर्ताओं को सलाह दी। उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापित करने के बाद उसकी देखरेख भी होती

रहनी चाहिए। हम नसीहत का असर यह हुआ कि दस दिनों के भीतर ही प्रशासन का एक्शन भी नजर आया। वसुंधरा की नाराजगी से नगर निगम में हड़कंप मच गया। उनका सख्त लहजा सामने आने के बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची। मूर्ति स्थल पर सफाई के साथ-साथ पेड़ों की कटाई और छंटाई का काम पूरा किया गया। इस दौरान मौके पर सफाई कराने में जुटे भाजपा नेता घनश्याम वैष्णव ने कहा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए नगर निगम के महापौर और अधिकारियों से भी अप्रह्न किया जाएगा।

दस लाख की रंगदारी व गाड़ी लूट मामले में तीन गिरफ्तार

इस पूरी वारदात में पीड़ित का दोस्त भी आरोपियों के साथ मिला हुआ था

भरतपुर, (निर्स)। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से रंगदारी की मांग करने वाले एवं स्कॉर्पियो लूट कर ले जाने के मामले में तीन आरोपियों को उद्योग नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें खास बात यह रही कि पीड़ित मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट का दोस्त भी अपहरणकर्ताओं के साथ मिला हुआ था। पुलिस से बचकर भागते समय तीनों आरोपियों के पैर में चोट आई है।

एसपी मुदुल कच्छवा ने बताया कि 22 जनवरी को पुष्पवाटिका निवासी धीरज से 10 लाख की फिरोती मांगी गई थी। उसके बाद आरोपी धीरज की स्कॉर्पियो गाड़ी को लूटकर फरार हो गए। घटना का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसके बाद मुखबि की सूचना पर कृपाल निवासी तमरौली और गोपाल निवासी जधीना को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस से बचकर भागने के कारण दोनों आरोपियों के पैर में चोट आई है। इस घटना के दौरान धीरज शर्मा का दोस्त



उद्योग नगर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मोहित चाहर धीरज के साथ था। आरोपियों से पूछताछ में मोहित का भी शामिल होना पाया गया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूटी गई गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। बाकी दो बचे आरोपी

हिम्मत और लोकेंद्र के खिलाफ फरार हैं, उनको तलाश जारी है। इस मामले में शामिल कृपाल निवासी तमरौली कृपाल जधीना हत्याकांड में भी शामिल था। वह हाल ही में जमानत पर बाहर आया है। धीरज

निवासी न्यू पुष्प वाटिका ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि मैं दिगंबर मेडिकल कॉलेज के सेकंड ईयर का छात्र हूं। 22 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे अपने दोस्त मोहित चाहर के साथ कार से भरतपुर आ रहा था। तभी सारस चौराहे

■ इस मामले में शामिल कृपाल निवासी तमरौली कृपाल जधीना हत्याकांड में भी शामिल था

■ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से रंगदारी की मांग करके स्कॉर्पियो गाड़ी लूटी थी

■ दो आरोपी फरार होने में सफल हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है

के पास पेंडलुन शोरूम से एक कार के हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। मल्टीपज चौराहे के पास पीछा कर रहे युवकों ने हमारी कार के आगे अपनी कार लगा दी। कार में से दो युवक गोपाल जधीना, कृपाल तमरौली उतरे। वह आकर धीरज की कार में बैठ गए। जिसके बाद रेडक्रॉस सर्किल से पास दोनों युवकों ने मेरी कार को रुकवाया और कार में लोकेन्द्र और हिम्मत उवार भी बैठ गए। जिसके बाद चारों लोगों ने धीरज के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। चारों युवक धीरज को हनुमान तिराहे के पास पेट्रोल पंप के पास ले गए। चारों युवकों

बस-कार की भिड़ंत में मां-बेटी समेत तीन की मौत

गाड़ी में बुरी तरह फंसे घायल पानी मांगते रहे, लोग पहुंचे तब तक मौत हो चुकी थी

बीकानेर, (निर्स)। बीकानेर-जयपुर नेशनल हाईवे पर प्राइवेट बस और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई। कार सवारों को बाहर निकालने के गाड़ी को काटा गया। हादसा श्रीद्वारगढ़ के पास स्थित कीतासर गांव में शुक्रवार सुबह हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद कार सवार पानी मांग रहे थे। लोग पानी की बोतल लेकर गए, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के

■ कार सवारों को बाहर निकालने के गाड़ी को काटा गया, जयपुर की ओर जा रही थी बस

अनुसार कि बस जयपुर जा रही थी। कार बीकानेर की ओर आ रही थी। दोनों गाड़ियों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार सवार लोग गाड़ी में फंस गए। कार को

काटकर उन्हें बाहर निकाला। हालांकि जब तक आगे की सीट पर बैठी महिला राजीयासर निवासी बाला कंवर पत्नी गिरधारी सिंह और द्वाइबर चंडिहारा निवासी आरिफ की मौत हो चुकी थी। वहीं युवती बुली कंवर पुत्री गिरधारी सिंह गंभीर घायल हो गई। उसे श्रीद्वारगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बस बीकानेर से जयपुर की ओर आ रही थी। कार सवार बीकानेर जा रहे थे।

नकबजनी गिरोह का वांछित एक आरोपी गिरफ्तार

सांभरझील, (निर्स)। नकबजनी गिरोह के वांछित एक आरोपी गिरफ्तार कर सांभर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर माल बरामद भी कर लिया है।

आनन्द शर्मा उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण ने बताया कि 22 जनवरी को कोच्चा की ढाणी में बन्द मकान के ताले तोड़कर सोने-चांदी के जेवरत व नगदी चोरी करने के संबंध में सांभर थाना में प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जिला जयपुर ग्रामीण रजनीश पुनियां, पुलिस उप अधीक्षक अनुपम मिश्रा के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी सांभरलेक राजेन्द्र कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आसूचना

■ आरोपी से सोने व चांदी के जेवरत व नकदी बरामद

संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा प्रकरण में वांछित आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर सोने चांदी के जेवरत व नगदी रूपये बरामद किये।

प्रकरण में अनुसंधान जारी है तथा अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी इमरान पुत्र इमा मुदीन पठान निवासी आकलिया चौराहा, बरकतउल्ला कॉलोनी थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने-चांदी के जेवरत व 27100 रूपये नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार करने में प्रमुख रूप से भूमि का पुलिस निरीक्षक रमेश कुमार भी रही।

कबाड़ बीनने वाली महिला से दुष्कर्म

नोखा, (निर्स)। नोखा में एक कबाड़ बीनने वाली मजदूर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गुरुवार रात को नोखा थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस से बताया कि वह प्लास्टिक की बोतलों और कागज बीनकर अपना और अपने परिवार का पेट पालती है। आरोपी पिछले एक महीने से उसका पीछा कर रहा था। 14 जनवरी को जब वह रमशान घाट के पास कबाड़ बीन रही थी, तब आरोपी ने चाकू दिखाकर सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी के कारण किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। हालांकि, मामला तब और गंभीर हो गया जब 23 जनवरी को आरोपी ने पीड़िता को फिर से धमकी दी और उसके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद पीड़िता ने हिममत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल का कारावास

जालोर, (कास)। पॉक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाह्य ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी देवाराज को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 5 अक्टूबर 2024 को घर से किसी को बिना बताये, कहीं चली गई। देवाराज पुत्र मोतीराम हीरारण द्वारा उसे बहलाकर भगाकर ले जाने का शक है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर देवाराज को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया। पीड़िता लड़की ने बताया कि देवाराज उसे व उसके घर वाली को जान से मारने की धमकियां देकर बहलाकर अपनी टैक्सि में बैठकर झाड़ियों में सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पंद्रह गवाह के बयान लेखबद्ध किये गए। पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाह्य ने आरोपी देवाराज को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया।